उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन

8वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार,

लखनऊ

CIN NO: U32201UP1999SGC024928

दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

संख्याः 3853–रेस्पो/तक०/डार्क जोन

विषय : प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डार्क जोन के साथ अन्य सभी जनपदों में अनियमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के संयोजन नियमितीकरण अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

4429/GCM/2020
23/11/2020

MD
Pl host on e-book part of our portal also. Such circulars should regularly get marked for hosting
21/11
(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
दक्षिणांचल–आगरा/मध्यांचल–लखनऊ,
पश्चिमांचल–मेरठ/पूर्वांचल–वाराणसी।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या–3864–रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डार्क जोन में अनियमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के संयोजन नियमितीकरण किये जाने हेतु गाईड लाईन्स निर्गत की गई थी। गाईड लाईन्स के बिन्दु संख्या–10 के अनुसार अभियान दिनांक 28.02.2019 तक चलाया गया था।

पुनः कारपोरेशन के पत्र संख्या–820/रेस्पो/तक०/डार्क योजना दिनांक 07.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा योजना की अवधि दिनांक 28.02.2019 से बढ़ाकर दिनांक 31.03.2019 तक विस्तारित की गई थी।

उक्त क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्र संख्या–301/पी.एस.सी.एच./पाकालि/दिनांक 22.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि अनियमित निजी नलकूपों के संयोजनों को चिन्हित करने का अभियान चलाया जाए तथा उ०प्र० पावर कारपोरेशन स्तर से पूर्व में जारी की गई योजना के अन्तर्गत उनके नियमितीकरण की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त प्रचार–प्रसार कर के अभियान चलाया जाए तथा भण्डार गृहों से निर्गत सामग्री का यदि गलत तरीके से इन अनियमित संयोजनों में उपयोग किया गया है तो सम्बन्धित अधिकारी जिनके नाम सामग्री निर्गत की गई है, के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाए। इस अभियान की प्रगति से उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय को अवगत कराया जाए। इसकी समीक्षा मा० ऊर्जा मंत्री जी, उ०प्र० सरकार द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में की जायेगी।

निर्देशानुसार उक्त क्रम में कारपोरेशन के पत्र संख्या 2529–रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक 26 जुलाई, 2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उक्त योजना की अवधि दिनांक 31.10.2019 तक विस्तारित की गई थी। उक्त अनुक्रम में कारपोरेशन के पत्र संख्या 3566–रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा योजना की अवधि पुनः दिनांक31.10.2019 से बढ़ाकर दिनांक 31.03.2020 तक विस्तारित की गई।

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिo

इसी अनुक्रम में योजना पुनः प्रारम्भ कर दिनांक 31.12.2020 तक विस्तारित की जाती है।

दिनांक 08–07–2019 को निर्गत नई कास्ट डाटा बुक के अनुसार ही निजी नलकूप संयोजन हेतु प्रोसेसिंग फीस एवं फिक्स चार्जेज जमा कराये जायें।

गाईड लाईन्स के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

पूर्व में निर्देशिका (गाईड लाईन) को निदेशक मण्डल (बी०ओ०डी०) के अनुमोदन की प्रत्याशा में शामिल कर डार्क जोन में अनियमित निजी नलकूप विद्युत संयोजनों का नियमितीकरण आरम्भ कर दिया जाए।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए साप्ताहिक प्रगति आख्या रेस्पो इकाई को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(वारालिका दुबे)

मुख्य अभियन्ता (डी.एस.एम.)

प्रति :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

C:\Users\Reshpe\Desktop\All Important Folder\Letter 2017-18-19(1)\Letter 2020\Letter November 2020.docx